न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

(38)

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 697–दो/2004 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 19–4–2007– पारित व्दारा – अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 231/2001–02 निगरानी

रघुराई पुत्र फूलचन्द्र वानी
निवासी बारी हाल ग्राम खिरखेारी
तहसील गोपदबनास जिला सीधी ——आवेदक

विरूद्व

(1) रामधारी सिंह पुत्र ईश्वरदीन सिंह
ग्राम बारी तहसील गोपद बनास
जिला सीधी मध्य प्रदेश
(2) मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर सीधी ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)
(अनावेदक–1 के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनॉक 16 –08 –2018 को पारित)

यह निगरानी आवेदन अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 231/2001–02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–4–04 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 क धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बारी स्थित आराजी कमांक 184, 185, 186, 200,201, 202, 203 नया नंबर 368, 369, 381, 367, 382 पर आवेदक के नाम खसरे के कालम नंबर 26 में कब्जे की प्रविष्टि का जांच प्रकरण कलेक्टर सीधी के यहां चला। कलेक्टर जिला सीधी ने प्रकरण कमांक 159/प्रवा/2002 में दिये गये निर्देश दिनांक 10–3–2002 से उक्त सर्वे नंबर पर आवेदक के नाम की खसरे के

कालम नंबर 26 में बिना सक्षम आदेश के फर्जी प्रविष्टि पाने पर विलोपित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर के इन निर्देशों के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 231/2001—02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19—4—04 से निगरानी निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि वादित भूमियां आवेदक ने अनावेदक कमांक 1 के पिता ईश्वरदीन से वर्ष 1956 में कय करके कब्जा दखल प्राप्त किया तभी आवेदक का नाम खसरे में लिखा गया है। इसी भूमि के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल में अन्य प्रकरण भी चला है जिसमें स्थगन है। खसरे की प्रविष्टियां बैधानिक कार्यवाही करने के वाद शुद्व की जाती है किन्तु कलेक्टर सीधी ने किसी प्रकिया को अपनाये बिना ही अधिकार विहीन निर्देश दिये है जिसके कारण कलेक्टर का आदेश निरस्त होना चाहिये, किन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 231/2001—02 निगरानी में आदेश दिनांक 19—4—04 पारित करते समय इस पर ध्यान न देने की भूल की है और जब कलेक्टर से निर्देश दिनांक 10—3—2002 की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी, तब प्रमाणित प्रतिलिपि भी नहीं दी गई। इस भी विचार नहीं किया गया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने की मांग रखी।

अनावेदक क—1 के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक ने विकय पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है मतलव भूमि का विकय हुआ ही नहीं है अपितु खसरों में बैक डेट में आवेदक के नाम की अनावेदक कमांक—1 के स्वामित्व की भूमि पर फर्जी खसरा प्रविष्टि बिना किसी सक्षम आदेश के की गई है जिसके कारण कलेक्टर एंव अपर कमिश्नर के आदेश सही है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख

के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 19–4–04 में विवेचित किया है कि कलेक्टर की नस्ती का अवलोकन करने पर स्पष्ट रूप से पाया गया है कि निगरानीकर्ता व्दारा फर्जी तौर पर अभिलेखों के कालम नंबर 16 में अपन नाम प्रविष्टि कराया है जबकि प्रश्नाधीन भूमियां गैर निगरानीकर्ता की पैत्रृक भूमियां हैं। आवेदक ने कलेक्टर न्यायालय में अथवा अपर आयुक्त के न्यायालय में तथाकथित विक्रय पत्र की प्रति, छायाप्रति प्रस्तुत नहीं की है एंव राजस्व मण्डल में दोनों पक्षों के बीच वादित भूमियों को लेकर कौनसा प्रकरण चला एंव कब स्थगन आदेश जारी हुआ ? प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। निगरानीकर्ता यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त भूमि उन्हें कैसे मिली। निगरानीकर्ता व्दारा यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि किस प्रकरण से उनका नाम उक्त भूमि के खसरे में आया है। कलेक्टर के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि आवेदक के नाम की खसरा प्रविष्टि की फर्जी कार्यवाही हुई है। अंत में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने निष्कर्ष दिया है कि कलेक्टर व्दारा फर्जी कार्यवाही को शुद्व करने में कोई गलती नहीं की गई क्योंकि फर्जी इंद्राज किसी आदेश की श्रेणी में नहीं आता है इसलिये इन्द्राज को काटने में कलेक्टर ने कोई गलती नहीं की है। वास्तविकता यह है कि आवेदक के नाम की फर्जी खसरा पृविष्टि है जिसे कलेक्टर जिला सीधी ने फर्जी प्रविष्टि पाने के कारण निर्देश दिनांक 10–3–2002 से अभिलेख अद्वतन कराया है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देने से निगरानी आधारहीन है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त करते हुये अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 231/2001–02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–4–04 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर